APP-A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम 2023/469

(नियम-26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा .... नियम ....

हीराराम .... बनाम .... पूराराम

किस्म मुकदमा 251 (क) R.T.Act .... नं. 289 .... सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/10/23	प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री.......... तख्तसिंह भाटी ने अन्तर्गत धारा 251 का पेश किया। जिस पर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के सम्मन मय प्रार्थना पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिनांक 20/10/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	
20/10/23	प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल अथवा अदम तामिल के प्राप्त नहीं हुए। इन्तजार होकर दिनांक 24/11/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	
16.11.23	पत्रावली प्रार्थी स्वयं द्वारा पत्रावली आज पेशी पर तलब करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर सुनवाई में ली गई। प्रार्थी स्वयं ने निवेदन किया [illegible] में आपसी समझौते से विड्रोल किया जा [illegible] है। प्रार्थी ने साथ ही विप्रार्थी [illegible] हस्ताक्षर व स्वयं के हस्ताक्षर [illegible] प्रकरण को विड्रोल करने बाबत पेश किया गया विप्रार्थी क्र. 1, 5 व 6 की ओर से वकालतनामा श्री उपस्थित वकील [illegible] पेश किया है प्रार्थना पत्र व वकालतनामा शामिल मिसल किये जावे। वकालतनामा शामिल मिसल किये जावें - - लगातार - - उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	हीरराम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.02.06 17:30:47 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	... हमने प्रार्थी वकील व विपक्षी सं. 1,5 व 6 के वकील को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें पाया कि विपक्षीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की प्रार्थी वकील द्वारा तलबी पेश नहीं की गई है। विपक्षी सं. 2 ता 3 व 9 ता 11 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस "प्राप्तकर्ता नहीं रहता" व "प्राप्तकर्ता घर नहीं मिला" की टिप्पणी के साथ रिटर्न प्राप्त हो शामिल पत्रावली है। विपक्षी सं. 1, 5, व 6 के वकालतनामा आज ही पेश करके साथ प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 5 व 6 ने संयुक्त रूप से इकरार प्रार्थना पत्र प्रकरण को निरस्त बाबत पेश किया गया। वि.प. 1,5 व 6 की इकरार (पहचान) वकील श्री [illegible] ने की व प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं होकर प्रार्थी स्वयं ने प्रार्थना पत्र व पहचान के रूप में आधार कार्ड पेश किया गया। चूंकि पत्रावली प्रारम्भिक स्तर पर है व प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है व आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रो स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर जरिये विड्रो स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नतीजा शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Ve
Digitally signed by Ra
Date: 2024.02.06 17:
Reason: SelfAttested